



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112020-223093
CG-DL-E-17112020-223093

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]
No. 328]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2020/कार्तिक 22, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2020

फा.सं. 10/2/2019-जीएसटीएसएस.—केंद्र सरकार एतद्वारा जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अवस्थित इकाइयों के लिए वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत बजटीय सहायता स्कीम शीर्षक वाली भारत सरकार की दिनांक 05.10.2017 की अधिसूचना सं. 10(1)/2017-डीबीए-II/एनईआर में 'जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019' के अनुसार निम्नलिखित संशोधन करती है और ये संशोधन 'निर्धारित तिथि' से लागू होंगे।

i) स्कीम के विषय शीर्षक को निम्नानुसार पढ़ा जाए:—

'उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अवस्थित इकाइयों के लिए वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत बजटीय सहायता स्कीम।'

ii) स्कीम के पैरा 3.1 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:—

इस स्कीम को 'वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख' में अवस्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए बजटीय सहायता स्कीम' कहा जाएगा। उक्त स्कीम पात्र इकाई (पैरा 4.1 में यथापरिभाषित) के लिए 01.07.2017 से प्रचालन में आएगी

तथा विशिष्ट वस्तु (पैरा 4.2 में यथापरिभाषित) के संबंध में प्रत्येक पात्र इकाई के लिए बाकी अवधि के लिए (पैरा 4.3 में यथापरिभाषित) लागू रहेगी। यह समग्र स्कीम 30.06.2027 तक वैध रहेगी।

iii) जम्मू और कश्मीर का नाम, दिनांक 05.10.2017 की अधिसूचना संख्या 10(1)/2017-डीबीए-II/एनईआर में जब भी लागू हो, को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पढ़ा जाए।

राजेंद्र रत्नू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2020

F.No. 10/2/2019-GSTSS.—The Central Government hereby makes the following amendments in the Government of India Notification No. 10(1)/2017-DBA-II/NER dated 05.10.2017, titled ‘Scheme of Budgetary Support under Goods and Services Tax Regime to the units located in States of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North East including Sikkim as per “The Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019” and will be applicable on and from the “appointed day”.

i) The subject title of the Scheme may be read as:—

*‘The Scheme of Budgetary Support under Goods and Services Tax Regime to the eligible units located in States of Uttarakhand, Himachal Pradesh, North East including Sikkim, **Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh.**’*

ii) Para 3.1 of the Scheme may be read as follows:—

*The Scheme shall be called “The Scheme of Budgetary Support under Goods and Services Tax Regime to the eligible units located in States of Uttarakhand, Himachal Pradesh, North East including Sikkim, **Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh.**”. The said Scheme shall come into operation w.e.f. 01.07.2017 for an eligible unit (as defined in para 4.1) and shall remain in operation for residual period (as defined in para 4.3) for each of the eligible unit in respect of specified goods (as defined in para 4.2). The overall scheme shall be valid upto 30.06.2027.’*

iii) The name of Jammu & Kashmir, wherever applicable in the notification no. 10(1)/2017-DBA-II/NER dated 05.10.2017 may be read as **Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh.**

RAJENDRA RATNOO, Jt. Secy.